प्रेस विज्ञप्ति

14/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में अनंतिम रूप से 5.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है । कुर्क की गई संपत्तियां एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बक्शी का तालाब , लखनऊ के कॉलेज भवनों के रूप में हैं । यह इस मामले में चौथी कुर्की है। एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स लखनऊ शहर में एसएस नाम से स्कूलों और कॉलेजों का मालिक है और इसे संचालित करता है। इन कॉलेजों में विभिन्न प्रबंधन पाठ्यक्रम (बीबीए/एमबीए) संचालित किए जा रहे हैं। इस समूह के अध्यक्ष प्रवीण चौहान ने हागिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के इशरत ज़फ़री और उनके स्वयं के कर्मचारियों की सहायता से सैकड़ों छात्रों के नकली दस्तावेज़ बनाए और उनके नाम पर सरकार से छात्रवृत्ति निधि में 7.40 करोड़ रुपए का लाभ उठाया। उसमें से करीब 1.7 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

ईडी ने खुफिया जानकारी और यूपी पुलिस द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने फर्जी छात्रों को अपने संस्थानों में प्रवेश दिलाया एवं सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई कॉलेजों के प्रबंधकों द्वारा स्वयं की गई थी। फर्जी पीएच श्रेणी/विकलांग छात्रों के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति को कॉलेजों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद नकद में निकाल लिया गया या व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया या भूमि खरीद और भवन निर्माण आदि के लिए उपयोग किया गया, इस प्रकार, उनके कार्यों के परिणामस्वरूप जरूरतमंद और वास्तविक छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर 100 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी छात्रवृत्ति का गबन किया गया।

इससे पहले मामले में 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। नतीजतन, विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों के नाम पर 10 करोड़ रुपए (लगभग) की विभिन्न अचल और चल संपत्तियों को कुर्क करने के 03 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मामले में एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायतें माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही दायर की जा चुकी हैं और माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। इस पीएओ के साथ-साथ कुल 15.7 करोड़ रुपए की संचित कुर्की की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।